पत्र संख्या-वैट-(07-08)-विज्ञप्ति - 589 /वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।
(वैट अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ :: फरवरी 8, 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

शासन द्वारा केवल प्रान्त के अन्दर से खरीदे गये माल को प्रान्त के अन्दर पुर्नविक्रय का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के लिए धारा-6 के परन्तुक के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 (दिनांक 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2008 तक) या आगामी वर्षों के लिए संदेय कर के स्थान पर विक्रय के आवर्त पर एक प्रतिशत की दर से समाधान धनराशि स्वीकार्य किये जाने से सम्बन्धित विज्ञप्ति जारी की गयी है । विज्ञप्ति के प्राविधानों के अनुसार वर्ष 07-08 के लिए समाधान प्रार्थना-पत्र वाणिज्य कर कार्यालय में दाखिल करने की अन्तिम तारीख 4-3-08 निश्चित की गयी है । इसके बाद कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार्य नही होगा । अगले वर्षों के लिए यह प्रार्थना-पत्र वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर अर्थात 30 अप्रैल तक दाखिल करना होगा । इस पत्र के साथ शासन द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-251/ग्यारह-9(2)/08-उ0प्र0अध्या0-37-2008-आदेश-(5)-2008, दि0 4-2-08 की प्रति तथा उसमें दिये गये प्राविधान के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना-पत्र / शपथ-पत्र / अनुबन्ध का प्रारुप आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि इसकी पर्याप्त प्रतियाँ छपवाकर सभी अधिकारियों / अधिवक्ता संघों / व्यापारिक संघों तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आदि को उपलब्ध करा दें तथा स्थानीय स्तर पर पर्याप्त प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें जिससे पात्र व्यापारी समय से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए योजना का लाभ उठा सकें ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

8-2-08
(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग,उार प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उार प्रदेश शासन, लखनऊ ।
3. सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उार प्रदेश शासन, लखनऊ (दो प्रतियो में) ।
4. अध्यक्ष/निबन्धक उार प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवँ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उार प्रदेश ।
6. अपर निदेशक/सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
7. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद ।
8. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ ।
9. प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।
10. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उार प्रदेश ।
11. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद ।
12. विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन, सेक्टर-10, नोयडा ।
13. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य वाणिज्य कर, गाजियाबाद ।

14. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असि0कमि0 (उ0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, लखनऊ / इलाहाबाद ।
15. मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियाँ ।
16. वैट अनुभाग को 100 प्रतियां तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियाँ ।
17. समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, उ0 प्रदेश ।
18. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
19. अध्यक्ष, उ0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185/293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ
20. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ ।
21. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे कानपुर
22. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
23. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ ।
24. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर ।
25. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17, गोमती नगर, लखनऊ।
26. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ ।
27. अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0, ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
28. आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट संख्या-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
29. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 एसोसिएसन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
30. राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
31. प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
32. शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उ0 प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर ।
33. श्री मदन मोहन भरतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर
34. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
35. प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।
36. डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579, इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
37. श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी।
38. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुंज गली, चौक, वाराणसी ।
39. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उ0 प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
40. श्री पी0एस0जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-27, नोयडा ।
41. श्री ब्रित चावला, महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी, सहारनपुर ।
42. श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
43. श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी, 60-चाहचन्द, इलाहाबाद ।
44. श्री शैलेश मिश्रा, महामँत्री, लोहा व्यापार मंडल, उ0 प्रदेश, 19-सुरेशबाग, कानपुर ।
45. इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
46. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0)52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ ।
47. टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा ।
48. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0, 51-बी, उद्योग नगर, कानपुर ।
49. श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
50. श्री दिनेश आरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर ।
51. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ ।
52. श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
53. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल, (पँजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
54. माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
55. श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ ।

56. श्री दिनेश चन्द्र मिाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।
57. अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन नं0 2720097।
58. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
59. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट ,हाथरस।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0 लखनऊ।

शपथ-पत्र / अनुबन्ध

मैं ------------------------------ पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ------------------ आयु --------- वर्ष ----------------------स्थायी निवासी (पूरा पता) -- --------------- शपथ पूर्व बयान करता / करती हूँ कि :

1- मैं फर्म सर्वश्री ------------------------------जिसका मुख्यालय (पूरा नाम) ------------ ----------------पर स्थित है, का स्वामी / साझीदार / (प्रास्थिति) ----------------- हूँ तथा यह शपथ-पत्र उपरोक्त फर्म की ओर से वर्ष 20 - 20 के लिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-6 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ।

2- मेरी फर्म के मुख्यालय व शाखाओं का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं0	नाम	पूरा पता	व्यवसाय की प्रकृति	विशेष विवरण
1-	मुख्यालय			
2-	शाखाएं			
	(अ)			
	(ब)			
	(स)			

3- फर्म का गत वर्ष का कुल विक्रय धन (करयोग्य, करमुक्त तथा नान-वैट वस्तुओं का) रु0 50 लाख से कम था तथा वित्तीय वर्ष (20 - 20) में कुल विक्रय धन रु0 50 लाख से अधिक होने की सम्भावना नहीं है ।)

4- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-251/ग्यारह-9(2)/08-उ0प्र0अध्या0-37-2008-आदेश-(5)-2008, दि0 4-2-08 में दिये गये प्राविधानों / शर्तों को मैंने सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और वह मुझे व फर्म के सभी हितबद्ध व्यक्तियों के लिए मान्य है तथा प्राविधानों / शर्तों का पालन करने तथा दायित्वों के निर्वहन के लिए बाध्य होगी ।

5- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी उपरोक्त विज्ञप्ति के प्राविधानों / शर्तों का अनुपालन न किये जाने की दशा में कर निर्धारण प्राधिकारी नियमानुसार मेरी फर्म के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेंगे ।

हस्ताक्षर ---------------------------

प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

दिनांक :

पूरा नाम ------------------------------

प्रास्थिति -----------------------------

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 37 सन् 2007)
<u>धारा-6 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र</u>
प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए अलग-अलग

सेवा में,
कर निर्धारक प्राधिकारी,
खंड- -----------------,
जनपद -------------
वर्ष 2007-08 (दि0 1-1-08 से 31-3-08 तक)/ वर्ष (20 -- 20)

महोदय,

मैं, श्री/श्रीमती ----------------------- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री --------------------------- सर्वश्री --- जिसका मुख्यालय ------------------------- ---------- पर स्थित है जिसे मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 37 सन् 2007) की धारा 17 अथवा धारा 18 के अंतर्गत वाणिज्य कर कार्यालय ----------------- द्वारा जारी टिन -------------- दिनांक -------- से प्रभावी किया गया है अथवा जिसमें उक्त अध्यादेश के अंतर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी ----- (मंडल)----------- - जनपद के कार्यालय मे दिनांक ---------- को पंजीयन प्रार्थनापत्र फार्म-VII में प्रस्तुत कर दिया है, का स्वामी / साझीदार / निदेशक / (प्रास्थिति) ----------- हूँ । मैं यह प्रार्थनापत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ (जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 32 के उपनियम (6) के अंतर्गत हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है)। मैंने देय कर के विकल्प में धारा 6 के परन्तुक में जारी अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-251/ग्यारह-9(2)/08-उ0प्र0अध्या0-37-2008-आदेश-(5)-2008, दि0 4-2-08 को मैं तथा फर्म के हितबद्ध व्यक्तियों ने सावधानीपूर्वक पढ़ और समझ लिया है । उक्त अधिसूचना में उल्लिखित समस्त शर्तें स्वीकार्य करता / करती हूँ ।

2- मैं वित्तीय वर्ष 20 - 20 में उक्त फर्म द्वारा देय कर के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-37 सन् 2007) की धारा 6 के परन्तुक तथा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गयी उक्त विज्ञप्ति के प्राविधानों के अधीन संलग्न शपथ-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार एक मुश्त धनराशि स्वीकार किये जाने का निवेदन करता / करती हूँ ।

घोषणा

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि इस प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्णतया सत्य है । उसमें कोई गलत या अपूर्ण नहीं है और न ही संगत तथ्य छिपाया गया है ।

हस्ताक्षर ----------------------------
प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता